न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण GCMS NO 2001/00011
दायरा तिथि : 19.06.2001
निर्णय तिथि : 01-12-25

वादीगण :–

1. नेनमल पुत्र स्व. कपुरजी आयु बालिग
2. देवाराम पुत्र स्व0 कपुरजी आयु बालिग
3. स्व0 दिनेशकुमार पुत्र स्व. कपुरजी के कायम मुकाम:–

3/1 मन्जु विधवा स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
3/2 सिंकी पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
3/3 प्रियंका पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
3/4 किरण पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग जातिगण ब्राहमण निवासीगण भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–शंकरलाल पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
1/1–तारा पुत्री शंकरलाल आयु बालिग
2 – स्व धनाराम पुत्र स्व. मानाजी के कायम मुकाम
2/1 – लखमाराम पुत्र धनाजी के कायम मुकाम
2/1/1– पानी पुत्री स्व. लखमाराजी आयु बालिग
2/1/2 – कमलेश कुमार पुत्र लखमारामजी आयु बालिग
2/1/3 – निरूपा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग
2/1/4 – उषा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग

2/2– देवारीाम पुत्र स्व घनाजी आयु बालिग
2/3– गणेशराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
2/4– गोविन्दराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
2/5– बच्चुलाल पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
जतिगण ब्राहम्ण निवासीगण– भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली

3 गलबी पुत्री स्व मानाजी पत्नि पाबुजी जाति ब्राहम्ण, निवासी –भन्दर तहसीली बाली जिला पाली
3/1–कन्हैयालाल पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
3/2– गोपीकिशन पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
3/3– पुखराज, पुत्र गलबी पत्नि पाबुरामजी के कायम मुकाम
3/3/1–सीता पत्नि स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/3/2–प्रदीप पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/3/3–सुमीत पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/3/4–विनित पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/4– रेवाशंकर पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग
3/5– सविता पुत्री स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग

4– स्व गजीबाई पुत्री मानजी के कायम मुकाम
4/1– चंचरीदेवी पत्नि स्व बाबुलालजी पुत्र वरदाजी के कायम मुकाम दीपक कुमार गोदपुत्र स्व चंचरीदेवी व स्व बाबुलालजी
4/2–गोपीकिशन पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
4/3–रेवाशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
4/4. हरिशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग जातिगण ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली

5–स्व कपुरजी पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
5/1 टिपबाई पत्नि हरिशंकजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
5/2 जरावी पत्नि दलपतराजी, जाति ब्राहम्ण, निवासा भन्दर, तहसील बाली
5/3 चन्द्राबाई पत्नि भंवरलालजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली
6. तहसीलदार बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–
1. श्री हिम्मत धनेरा .....अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुकेश धनेरा..... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2ए से 2 डी
3. श्री भरत जे. राठौड ..... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/5 की ओर से
4. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

दिनांक 01/12/025

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर ग्राम भाटुन्द स्थित भुमि हाल खसरन न. 563 1457 1458 1459 1465 1450 1466 229 2030 2031 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर एवं खसरा न. 824 828 829 830 831 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर एवं खसरा न. 1471 2032 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टर जुमले खसरा 19 एवं जुमले रकबा 12.21 हैक्टर में 1/3 के हिस्से की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह लिया गया कि वादगस्त भूमि के गत खसरा न. 1215 1224 1225, 1226 , 1227, 1229, 1230, 635, 1228, कुल खसरा 9 कुल रकबा 64 बीघा रहे है, जो वादीगण के दादा माना वलद वदा के खातेदारी की भूमि रही है। इस भूमि में माना वल्द वदा के देहान्त के पश्चात वादीगण के पिता कपूर जी का नाम दर्ज नही किया एवं माना जी के दो पुत्रों शंकर, धन्ना का नाम ही दर्ज किया। जिस त्रुटि को आगे बनी जमांबदीयो में दोहराया जाता रहां तथा वर्तमान जमांबदी संवत 2056–2059 भाटुण्द के हाल खसरा न. 563 1457 1458 1459 1465 1450 1466 229 2030 2031 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर एवं खसरा न. 824 828 829 830 831 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर एवं खसरा न. 1471 2032 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टर जुमले खसरा 19 एवं जुमले रकबा 12.21 हैक्टर में प्रतिवादी स. 1 एवं प्रतिवादी स. 2 के वारीसान का ही नाम दर्ज हैं। जिससे वादीगण पुश्तैनी हक अनुसार वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित कराने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री की पारित कराने की अधिकारी है। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखिय साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल के प्रति EX6A ,जमांबदी संवत 2056–2059 प्रदर्श EX1A, खतौनी वर्ष 2009 से 2028 की प्रति प्रदर्श EX2A जमाबंदी संवत 2019–2022 प्रदर्श EX3A, नामांतरण स. 42 EX7 नामंतरण स. 56 EX9 , नामंतरण स. 206 EX10, नामंतरण स 45 EX8 , नामंतरण स 44 EX9 पेश किये गये ।इन अभिलेखिय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह pw1 श्री नयनमल पुत्र स्व. कपूर जी आयु 71 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी भाटुन्द एवं गवाह pw2 श्री हरिशंकर पुत्र लम्छीराम जी आयु 80 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी भाटुन्द के बयान कलमबद्व करवाये गऐ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

वादीगण के वादपत्र का जवाब प्रतिवादी बच्चुलाल गोद पुत्र शंकरलाल की ओर से प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों से असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भुमि कभी भी स्व. श्री माना पुत्र वदा जी कपूर जी पुत्र माना जी के काश्त कब्जे की नही रही है वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज माना पुत्र वदा जी के इन्द्राजों को प्रतिवादी गण अस्वीकार करते है वादग्रस्त भुमि भाटुण्ड के सासण जागीरदारान ब्राहम्ण मुखियान की खातेदारी की भूमि थी एवं प्रतिवादी गण सं 1 व 2 उक्त जागीरदारान के सिकमी काश्तकार होने से बाई आपरेशन आफ लॉ

पेज लगातार.....03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु होने से स्वतः ही खातेदार हो चुके थे। वादीगण ने जानबुझकर स्व. मना जी वदा जी की मृत्यु दिनांक उल्लेखित नही की है इसके साथ ही प्रतिवादी स. 2E बच्चुलाल को प्रतिवादी सं. 1 शंकरलाल 1972 में जाति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। जिस सबध में रजिस्टर गोदनामा भी दिनांक 12.06.90 को पंजिबद्व कराया था वादीगण ने इन सभी तथ्यो को छिपाकर उक्त वाद पेश किया है वादीगण के पुर्वज दादा श्री कपूर जी पुत्र माना जी संयुक्त हिन्दु परिवार से संवत 2003 में श्रावण सुधी ग्यारस को पृथ्क हो चुके थे इस प्रकार स्व. कपूर पुत्र माना जी ने अपने आपको संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी से संवत 2003 में पृथ्क कर लिया था। इसके पश्चात उक्त भूमि में बाय आपरेशन आफ लॉ सहदायिकी खातेदारी में प्रतिंवादी गण के पिता का नाम अंकित किये जाने से कपूर जी पूत्र मानाजी एवं उनके वारिसान वादीगण को हिन्दु उत्तराधिकरा अधिनियम, 1956 के प्रावधानो के तहत कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने जबाव दावा के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा बतौर अभिलेखिय साक्ष्य

1. फोटो प्रति फारगती बाबत संयुक्त हिन्दू परिवार से पृथ्क होने बाबत कपूरचंद पुत्र मानाजी के हाथ की निष्पादित संवत २००३ के श्रावण सुद 11 मय टाईप प्रति सहित
2 फोटो प्रति गोद बाबत लिखत दिनांक २४-२-७२
3. फोटो प्रति गोदनामा प्रलेख दिनांक 12.06.1990
4. फर्द बेरेवार गत् ख न 1228 बेरा मावतरावाला गाव भाटुन्द स 2004–05
5.मिसलबन्दोबस्त स 2009 से 2028 खाता सं 138 ग्राम भाटुन्द
6. फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल
7. फोटो प्रति भाडा चिठी मय टाईप प्रति दिनांक 03.03.1954 बाबत ग्राम भाटुनद के बेरा मावतरावाला,
8. फोटो प्रति खाता बही संवत् 2008 बाबत बेरा मावतरा वाला के कांठा के हिसाब बाबत
9 मेहकमे जगंलात जोधपुर गवर्नमेन्ट की ढीमरा फीस की रसीदात रसीद स 46225, 4095, 9012, 3539, 3676, 40618 दिनांक क्रमश 24.8.45 जून 51, 30.5.52, 29.5. 53, 27.5.54, 25.5.55, 14.5.56, जो चोकी बीजापुर रेंज बाली द्वारा काटी गई थी।
10. खसरा गिरदावरी संवत् 2006 से 10, बेरा मावतरोवाला के ख न. 1224 1225, 1226 ग्राम भाटुन्द
11. खसरा गिरदावरी सं. 2010 से 2013, 2014 से 2018 ग्राम. भाटुन्द के गत खसरा न. 1227, 1228, 1229 बेरा मावतरोवाला
12 प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सं. 2010 से 2014 ग्राम. भाटुन्द के गत खसरा न. 1215, 1224 लगाय 1230 बेरा मावतरोवाला का जाव
13 प्रमाणित प्रतिलिपि मिसल बंदोबस्त सं. 2009 से 2028 ग्राम. भाटुन्द के खसरा न. 1530, एव 726 खाता सं 269
14 प्रमाणित प्रतिलिपियां खसरा गिरदावरी सं. 2006 से 2034, गत खसरा न 726 ग्राम. भाटुन्द
15.प्रमाणित प्रतिलिपि नांमातरण स. 43 स्वीकृति 1961 ग्राम भाटुन्द के खसरा न 726/39 की
16 प्रति खतौनी संवत 2031 से 2034 खाता सं. 402, गाम भाटुन्द के ख न 635, 726,/39

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.....04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

17 प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम भाटुन्द
18 खसरा गिरदावरी संवत 2006 से 2010 गत खसरा न 1530 ग्रम भाटुन्द
19 प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 03 स्वीकृति दिनांक 20.08.61 ग्रम भाटुन्द के गत ख. न 1530/145
20 खतौनी संवत 2031–34 खाता सं. 21 ग्राम भाटुन्द
21 प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम भाटुन्द
22 खतौनी संवत 2056–2059 खाता सं. 26 ग्रम भाटुन्द
23. प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2034 ग्रम भाटुन्द के गत ख0 न. 635
24 प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्रम भाटुन्द
25 प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र स्व. कपूरचंदजी का
26 ग्रम पंचायत भाटुन्द के प्रस्ताव सं. 16 पत्रावली सं. 15/63 के सबंध में दिनांक 10.07.63
27 बिगोडी रसीदात की फोटो प्रतिया वादग्रस्त कृशि भूमि बाबत कुल 46
28. प्रति गेहु लेवी की रसीद दिनांक 07.05.76
29. प्रमाणित प्रतिलिपी मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 ग्राम भाटुण्ड के खाता न 295, 296
30 नामातरण संख्या 244 ग्रम भाटुन्द
31 नामातकरण संख्या ग्रम भाटुन्द स्व माना पुत्र वदा के फोटोगी बाबत
32 नामांतकरण स. 44 दिनांक 01.07.1963
33. नामांतकरण स.776 दिनांक 10.07.36
34. नामांतकरण स .243 दिनांक 10.08.67
35 बेरेवार ग्राम भाटुण्द संवत 2004 से 2005 बेरा बडला खाता स. 3
36 खतौनी संबत 2016 से 2019 खाता सं 81 ग्राम भाटुन्द
37 खतौनी संबत 2019 से 2022 खाता सं 106 ग्राम भाटुन्द
38 प्रमाणित प्रतिलिपी फर्द बेरेवार ग्रम भाटुण्द संवत 2004 से 2005 खाता सं. 108
39 फर्द बेरेवार बेरा आमलिया वाला संवत 2004 से 2005 खाता सं 9 ग्रम भाटुन्द
40 फर्द बेरेवार बेरा पिपलीया रेला मायला ग्रम भाटुन्द के खाता सं 40
41 प्रमाणित प्रतिलिपीया मिसल बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 ग्रम भाटुन्द खाता सं 70 (बेरा बडलावाला) खाता स 192(बेरा आमलीयावाला) ग्रम भाटुन्द
42 नामांतकरण सं 1 ग्राम भाटुन्ड की स्वीकृति दिनांक 25.09.61 बेरा अमलियावाला
43 खतौनी संवत 2016 से 2018 एवं 2019 से 2022 खाता सं 203 एवं 315 बेरा रेला)
44 खतौनी संवत 2056 से 2059 ग्रम भाटुन्द के खाता सं 141
प्रतिया पेश की गई ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

इन अभिलेखिय साक्षयों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह Dw1 श्री बच्चुलाल पुत्र धन्नाराम उम 62 वर्ष ब्राहम्ण निवासी भाटुण्ड ,गवाह Dw2 गोपी किशन पुत्र वरदीरामजी उम्र 80 जाति ब्राहम्न निवासी भन्दर के बयान कलमबद्व करायें एवं साथ ही गवाह की टीकाराम पुत्र टीलाराम आु 60 जाति मीणा निवासी भाटुन्द, नाताराम पुत्र करताराम आयु 83 वर्ष जाति देवासी निवासी भाटुन्द, बाबुलाल पुत्र देवाराम आयु 59 वर्ष जाति गरासिया निवासी भाटुन्द के शपथपत्र पेश किये गये।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में वादपत्र में वर्णीत तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 स्व माना जी के

पेज लगातार.....04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वारिस है तथा माना जी के तीन पुत्र धन्नाराम,कपूराराम, शंकरलाल थे परन्तु वादग्रस्त भूमि के खातेदारा माना पुत्र वदा के देहान्त के बाद दाखिल एवं स्वीकृत नाामातरण से मात्र धन्ना व शकर के नाम ही दर्ज हुए एवं कपूराराम का नाम दर्ज नही हुआ जबकि कपूराराम भी स्व माना का जायन्दा पुत्र होने से वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकारी था। उक्त नामांतकरण ab-into-void होने से वादीगण के हितो के विरूद्व बेअसर होने से वादीगण स्व. कपूराराम के वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्सा के घोषणा खातेदारी पाने का अधिकारी है। वादी के उक्त वाद में वर्णित तथ्यों को बच्चुलाल के अलावा अन्य सभी सह खातेदारान ने स्वीकार किया है अत वादी का वाद डिक्री किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्ववान वकील वादी द्वारा दौराने बहस निम्न कानुनी दृष्टान्त पेश किये :–

1 RRT 2019(1) पेज 347(RB)
2 RRT 2011(2) पेज 1407(HC)
3 RRD 2000 पेज 45 (RB)
4 RRT 2024(1) पेज 625(RB)
5 RRT 2012(1) पेज 223(RB)
6 RRT 2024(2) पेज 1107(RB)

इसके विपरित प्रतिवादी सं 2E बच्चुलाल के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए दलील दी कि स्व. माना पुत्र वदा के नाम की कोई खातेदारी भुमि नही रही है यह भुमि ब्राहमणो के जागीरी की भुमि रही है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 व 2 शिकमी काश्तकार रहे हैं। जिससे टिन्नेसी एक्ट के प्रावधान लागु होने के समय से प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त हैं। वादीगण के पूर्वज संवत् 2003 में गाव छोडकर चले गए थे तथा अपने हक अधिकार छोडते हुए एक फारगती भी लिख कर दी थी अब वादीगण ने गलत वाद पेश किया हैं, जो खारीज योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया एवं उभयपक्ष वकुलायय की बहस एवं बहस के दौरान् प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्वान्तो पर मनन किया गया उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता हैः–

आया वादीगण स्व.कपुरजी पुत्र मानाजी के वारिश होने से स्व. माना पुत्र वदा के खातेदारी की भुमि पर पुश्तैनी हक हिस्से अनुसार मौजा भाटुन्द के गत ख न 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 विस्वा से बने हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466 2029, 2030, 2031, 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर व खसरा न 824, 828, 830, 831, 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर व ख न. 1471, 2032 कुल खसरा– 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टर के 1/3 हिस्से की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है? ..... वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत प्रथम सैटलमेंट के समय की मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 प्रदर्श– EX-2A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम दर्ज होना प्रमाणित हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 प्रदर्श– EX-3A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटुन्द

पेज लगातार.....05

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

के गत् खसरा नंबर 1215, 1224. 1225, 1226, 1227, 1230 एवं खसरा नंबर 635, 1228, 726/39 कुल खसरा–10 कुल रकबा 95 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार शंकर, धना पि. माना ब्राहमण के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। प्रदर्श– EX-3A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार संवत् 2023 से 2026, संवत् 2027 से 2030 एवं संवत् 2031 से 2034 में इसी अनुसार इन्द्राज दोहराया जाना प्रमाणित हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 173 प्रदर्श– EX-7 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम दर्ज थी, तथा माना वल्द वदा के फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये शंकर व धन्ना पि. माना कौम ब्राहमण का नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर निरीक्षक भूअभिलेख की जांच रिपोर्ट में यह वर्णित किया कि आज यह म्यूटेशन पेश हुआ मुखियान से जाहिर हुआ कि माना फौत हो चुका है और उसके जायन्दा लडके भी शंकरराम व धनाराम ही है दुसरा कोई वारिश माना के नहीं हैं लिहाजा शंकरराम व धनाराम के नाम म्यूटेशन मंजुर किया जावे। तथा जांच के पश्चात् दिनांक 10.7.1963 को उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि होती हैं कि फौतेदगी नामान्तरकरण से वादीगण के पिता व पुर्वजा स्व. कपुराराम का नाम वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखो से विलोपित किया गया, एवं जांच में भी शंकरराम व धनाराम के अलावा स्व. माना के कोई वारिश पुत्र नहीं होना बताया, जबकि वादीगण के पिता कपुराराम भी माना के पुत्र ही थे। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 206 प्रदर्श– EX-10 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 414,464 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण के दादा माना पिता वदा 1/8 हिस्सा दर्ज था, जिसमें फौतेदगी नामा. स्वीकृत होने के बाद शंकर धन्ना पि. माना 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज किये गये। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पुर्वज स्वं. माना पिता वदा के खातेदारी की होते हुये वादीगण के पिता कपुरारामजी का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में छोड दिया गया। तथा इसके बाद बनी जमाबंदियो में भी उक्त त्रुटि को दोहराया जाता है। इतना ही नहीं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार भाटुन्द के गत ख न 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 विस्वा से बने हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466 2029, 2030, 2031, 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर व खसरा न 824, 828, 830, 831, 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर व ख न. 1471, 2032 कुल खसरा– 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टर में भी जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श–EX-1A में भी उक्त त्रुटि बरकरार रखते हुये शंकरलाल के नाम एवं धन्नाराम फौत होने से उनके वारिशान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब में राजस्व कर्मियों की त्रुटि से वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों जमाबंदी संवत 2009 से 2028 में माना पुत्र वदा के नाम की प्रविष्टि होना वर्णित जरूर किया है। एवं साथ ही शासणदार की भूमि होना एवं इस पर बतौर सिकमी काश्तकार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ही काबिज होना वर्णित किया है परंतु इन सबकी पुष्टि में कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसके साथ ही प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादीगण के पिता द्वारा संवत 2003 में गांव छोडकर चलें जाना तथा हक छोडने का उल्लेख किया है। परंतु प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 2 श्री गोपीकिशन वरदीरामजी कौम ब्राहमण जो कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता गवाह गोपीकिशन के सगे मामा थे तथा इन तीनों भाईयों के बीच हुये बंटवाडा में वो शामिल नहीं रहे है जिससे प्रतिवादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसके विपरीत वादी पक्ष के गवाह पीडब्ल्यू 1 नेनमल एवं पीडब्ल्यू 2 हरीशंकर पुत्र लच्छीराम आयु 80 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द के बयानों से वादीगण के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित है। खातेदारी घोषणा के लिये आवश्यक शर्त भूमि पुश्तैनी होना, सैटलमेंट की भूल, खरीदशुदा भूमि हो।

पेज लगातार.....06

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उक्त प्रकरण में भूमि पुश्तैनी होना साबित होने से वादीगण के अनुतोष अनुसार भाटुन्द के गत ख न 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 विस्वा से बने हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466 2029, 2030, 2031, 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर व खसरा न 824, 828, 830, 831, 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर व ख न. 1471, 2032 कुल खसरा– 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टर के 1/3 हिस्से की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी बनते है। चूँकि वर्तमान अधिकार अभिलेखो में हाल खसरा नंबर 2029, 2030, 2031, 2033 एवं खसरा नंबर 2032 कुल खसरा–05 कुल रकबा 4.33 हैक्टर की भूमि भी इसी खाते में सम्मिलित है, जबकि गत् खसरा नंबर 726/39 रकबा सवा 31 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी अकेले धन्नाराम व शंकर पिता माना को टिनेन्सी एक्ट. की धारा 15 के तहत दी गई थी, जिससे हाल खसरा नंबर 2029, 2030, 2031, 2033 एवं खसरा नंबर 2032 कुल खसरा–05 कुल रकबा 4.33 हैक्टर की भूमि को पुश्तैनी भूमि नहीं माना जा सकता। जिससे वादीगण हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466, 2029, 2030, 2031, 2033, 824, 828, 830, 831, 832, 1471 कुल रकबा 12.21 हैक्टर में 1/3 हिस्सा की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी बनते है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

2. आया वादीगण तनकी सं 01 के अनुसार वादग्रस्त भुमि में पुश्तैनी 1/3 हिस्सा अनुसार घोशणा खातेदारी के पश्चात् धारा 53 राज.काश्त. अधिनियम के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की डिक्री पारित कराने के अधिकारी है? .....

वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम सैटलमेंट के समय की मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 प्रदर्श– EX-2A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम दर्ज होना प्रमाणित हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 173 प्रदर्श– EX-7 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम दर्ज थी, तथा माना वल्द वदा के फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये शंकर व धन्ना पि. माना कौम ब्राहमण का नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर निरीक्षक भू.अभिलेख की जांच रिपोर्ट में यह वर्णित किया कि आज यह म्यूटेशन पेश हुआ मुखियान से जाहिर हुआ कि माना फौत हो चुका है और उसके जायन्दा लडके भी शंकरराम व धनाराम ही है दुसरा कोई वारिश माना के नहीं हैं लिहाजा शंकरराम व धनाराम के नाम म्यूटेशन मंजुर किया जावे। तथा जांच के पश्चात् दिनांक 10.7.1963 को उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि होती हैं कि फौतेदगी नामान्तरकरण से वादीगण के पिता व पुर्वजा स्व. कपुराराम का नाम वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखो से विलोपित किया गया, एवं जांच में भी शंकरराम व धनाराम के अलावा स्व. माना के कोई वारिश पुत्र नहीं होना बताया, जबकि वादीगण के पिता कपुराराम भी माना के पुत्र ही थे। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 206 प्रदर्श– EX-10 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 414,464 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, में वादीगण के दादा माना पिता वदा 1/8 हिस्सा दर्ज था, जिसमें फौतेदगी नामा. स्वीकृत होने के बाद शंकर धन्ना पि. माना 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज किये गये। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि

पेज लगातार.....07

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पुर्वज स्वं. माना पिता वदा के खातेदारी की होते हुये वादीगण के पिता कपुरारामजी का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में छोड दिया गया। तथा इसके बाद बनी जमाबंदियो में भी उक्त त्रुटि को दोहराया जाता है। जिससे तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण को वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के अनुतोष को स्वीकार करते हुये तनकी संख्या–01 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है। वादीगण 1/3 हिस्से की घोषणा खातेदारी पाने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री भी बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के जारी कराने के अधिकारी बनते है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

3. आया वादीगण ने सभी हितबद्व पक्षों को पक्षकार नहीं बनाया जाने से पक्षकारों के कुसंयोजन से वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाने योग्य है. ? .... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण कां था। प्रतिवादी संख्या–2 ई बच्चुलाल ने अपने जवाबदावा में ये तथ्य वर्णित किये हैं कि वादग्रस्त भूमि में सभी सह खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है। परन्तु वर्तमान संशोधित वादशीर्षक एवं वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति में दर्ज खातेदारान् के नाम के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि रिकार्ड में दर्ज सभी सह खातेदारान् व हितबद्ध पक्षकारान् को वादीगण द्वारा पक्षकार बनाया जा चुका है। जिससे उक्त भी प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

4. आया वादग्रस्त भूमिया अलग–अलग होने के बावजुद एक ही वाद पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य हैं ? ..... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी प्रतिवादीगण था। प्रतिवादी संख्या–2 ई बच्चुलाल ने अपने जवाबदावा में यह एतराज लिया हैं कि वादग्रस्त भूमिया अलग–अलग होने के बावजुद एक ही वाद पेश किया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सैटलमेंट के समय की मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 प्रदर्श– EX-2A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम दर्ज होना प्रमाणित हैं। तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर बने हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466 2029, 2030, 2031, 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर व खसरा न 824, 828, 830, 831, 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर व ख न. 1471, 2032 कुल खसरा– 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टर में प्रतिवादी धना व शंकर के वारिशान का नाम ही दर्ज है, जो कि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में एक ही खाता में दर्ज है। विधिक प्रावधाना के अनुसार एक तहसील एवं उपखण्ड में अवस्थित अलग–अलग ग्रामो में स्थित भूमियो के सबंध में भी एक वाद पेश किया जा सकता है, ताकि वाद बाहुल्यता बढे नहीं। जबकि हस्तगत् प्रकरण में तो यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भाटून्द में ही अवस्थित है, तथा खाता संख्या भी एक ही है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष का आरोप निराधार है। जिससे वादीगण का वाद इस न्यायालय में चलने योग्य बनता है। परिणामतः तनकी संख्या 04 भी प्रतिवादी पक्ष के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

5. आया वादग्रस्त भूमि मेंसे हाल खसरा नंबर 1457, 1458, 1459, 1450, 1466, 1471 बेरा मावतरा वाला की भूमि हैं, जिसके गत् खसरा नंबर 1215, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1228 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भाटून्द के शासण जागीरदारो की भूमि थी। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पेज लगातार......08

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

के प्रावधान लागू होने के समय शिकमी काश्तकार के बतौर काश्त के लिये शंकरलाल पुत्र मानाजी ने भाडा चिट्ठी के जरिये ली थी। जिस पर शिकमी काश्तकार के तौर पर शंकरलाल एवं धनारामजी पुत्र मानाजी काश्त करते थे। इस भूमि पर संवत् 2008 से लगातार शंकरजी एवं धनाजी पुत्र मानाजी का कब्जा काश्त रहा हैं। वादीगण अथवा उनके पिता कपुरजी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। जिससे वादीगण के हक अधिकार वादग्रस्त भूमि में पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य हैं? ..... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम सैटलमेंट के समय की मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 प्रदर्श– EX-2A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम दर्ज होना प्रमाणित हैं, जिस भूमि में गत् खसरा नंबर 1215, 1224, 1225, 1226, 1227, 1230 कुल खसरा–06 कुल रकबा 20 बिस्वा सम्मिलित है। प्रतिवादी संख्या 3 ई द्वारा जवाबदावा के समर्थन में ऐसा कोई रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी की प्रति पेश नहीं की, जो यह प्रमाणित करे कि हाल खसरा नंबर 1457, 1458, 1459, 1450, 1466, 1471 बेरा मावतरा वाला की भूमि हैं, जिसके गत् खसरा नंबर 1215, 1224, 1225, 1226, 1227, 1230 कुल खसरा–06 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भाटून्द के शासण जागीरदारो की भूमि थी। मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में वादीगण के दादा माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा दर्ज थी। जिसको नामान्तरकरण संख्या 42/143 के द्वारा शंकर व धन्ना दो पुत्रो के नाम ही दर्ज की गई, एवं जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 में इसी अनुसार धन्ना व शंकर के नाम दर्ज की गई तथा साथ में शंकर व धन्ना को धारा 15 टिनेन्सी एक्ट. के तहत दी गई गत् खसरा नंबर 726/39 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि को भी सम्मिलित कर दिया। तथा आगे बनने वाली जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में खसरा नंबर 625 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा को पृथक रखते हुये खसरा नंबर 635 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा को सम्मिलित करते हुये धन्ना व शंकर के नाम दर्ज की गई। खसरा गिरदावरी की प्रतियो के आधार पर प्रतिवादी ने अपने आपको शिकमी काश्तकार माना है, परन्तु प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियो संवत् 2006 से 2010 में भी माना वल्द वदा का कब्जा काश्त होना प्रमाणित हैं। जहां तक शंकरलाल पुत्र मानाजी के द्वारा भाडा चिट्ठी के जरिये भूमि लेने का प्रश्न है, प्रतिवादी स्वयं द्वारा हिन्दी रूपान्तरित भाडा चिट्ठी के अवलोकन से ज्ञात है कि इस पर शंकरलाल के अलावा भाडा पर देने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिवादी पक्ष ने संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज को राजस्व कर्मियो की भूमि होना बताया, तथा इसके समर्थन में साक्ष्य के तौर पर खसरा गिरदावरियो को आधार बनाया, विधिक प्रावधानो के अनुसार खसरा गिरदावरी को रिकार्ड ऑफ राईट्स की संज्ञा नही दी जा सकती। प्रकरण में यह भी प्रमाणित हैं कि ग्राम भाटून्द के गत् खसरा नंबर 726/39 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रतिवादी शंकर व धन्ना पि0 माना को पुराने कब्जे के आधार पर धारा 15 टिनेन्सी एक्ट. के तहत खातेदारी दी गई है, जिस भूमि में वादीगण विधि अनुसार कोई हक पाने के अधिकारी नही रहते है, परन्तु तथ्यो को तोड मरोड कर स्व0 माना पुत्र वदा के नाम की ग्राम भाटुन्द में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 1215,1224. 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 2 विस्वा के 1/3 हिस्सा की घोषणा खातेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने यह भी दलील दी हैं कि वादीगण के पिता का वादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त व कब्जा नहीं रहा है, परन्तु पुश्तैनी भूमि पर वादीगण के पुर्वज कपुरजी व वादीगण के कब्जे से विधिक प्रावधानों के अनुसार इन्कार नहीं किया जा सकता। जिससे उक्त तनकी भी प्रतिवादी संख्या 2 ई के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......09

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

6. आया वादग्रस्त कृशि भूमि मेंसे हाल खसरा नंबर 2029, 2030, 2031, 2033, 2032 के गत् खसरा नंबर 726, 1530 की भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होने के समय से प्रतिवादी धनाराम व शंकर पिता मानाजी का रहा हैं। उक्त भूमि कमी वादीगण के पिता कपुरजी पुत्र मानाजी व मानाजी पुत्र वदाजी के खातेदारी में इन्द्राज नहीं रही हैं, जिससे वादीगण इस भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं हैं, जिससे वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं ? ..... प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण था। प्रतिवादी संख्या 2 ई द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 56 प्रदर्श– ई.एक्स–09 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटून्द के गत् खसरा नंबर 726/39 रकबा सवा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि की प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता धन्नाराम व शंकरलाल पिता मानाजी को टिनेन्सी एक्ट. की धारा 15 के तहत खातेदारी प्रदान जाना प्रमाणित है। जहां तक गत् खसरा नंबर 1530 की भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज रही हो, ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। तथा साथ ही गत् खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर के लिये विधि मान्य अधिकृत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल जो पेश किया गया है, उससे भी गत् खसरा नंबर 726 व 1530 से हाल खसरा नंबर बनने की पुष्टि नहीं होती है, परन्तु फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता को गत् खसरा नंबर 726/39 में रकबा सवा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि जो कि धारा 15 टिनेन्सी एक्ट. के तहत खातेदारी दी गई है, उसके रकबा का हाल खसरा नंबर 2029 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नबर 2030 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नंबर 2031 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2032 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 2033 रकबा 1.03 हैक्टर कुल खसरा–05 कुल रकबा 4.33 हैक्टर का मिलान करते है, तो प्रतिवादी पक्ष के गत् 31 बीघा 03 बिस्वा के समकक्ष लगभग 28 बीघा होती है। जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि भाटून्द के गत् खसरा नंबर 726/39 रकबा सवा 31 बीघा 03 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 2029, 2030, 2031, 2033, 2032 की भूमि कभी वादीगण के पिता कपुरजी पुत्र मानाजी व मानाजी पुत्र वदाजी के खातेदारी में इन्द्राज नहीं रही हैं, जिससे वादीगण इस भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं हैं। जिससे तनकी संख्या–06 आंशिक तौर पर प्रतिवादी संख्या 2 ई पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

7. आया वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 563 की भूमि गत् खसरा नंबर 635 से बने हैं। इन भूमियो पर भी कभी भी कपुरजी पुत्र मानाजी एवं माना पुत्र वदाजी का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। वादीगण के पिता व पुर्वज कपुरजी पुत्र मानाजी संयुक्त हिन्दु परिवार से संवत् 2003 में सावन सुद 11 को पृथक हो चुके थे। जिससे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो के तहत कपुरजी पुत्र मानाजी व उनके वारिशान को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं ? ..... प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। प्रतिवादी संख्या 2 ई द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में यह जरूर वर्णित किया है, कि भाटून्द के गत् खसरा नंबर 635 तथा इससे बने हाल खसरा नंबर 563 की भूमि पर वादीगण के पिता व पुर्वज कपुरजी पुत्र मानाजी एवं माना पुत्र वदाजी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 की प्रति प्रदर्श– ई.एक्स–2ए की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटून्द के गत् खसरा नंबर 635 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा अन्य खसरा नंबरान् के साथ माना वल्द वदा कौम ब्राहमण के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......10

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे प्रतिवादी पक्ष की यह दलील मानने योग्य नहीं हैं कि माना पुत्र वदाजी का इस भूमि पर काश्त व कब्जा नही रहा है। जहां तक कपुरजी पुत्र मानाजी की कब्जे काश्त का प्रश्न है, चूँकि कपुरजी स्व0 मानाजी का पुत्र है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार जन्म से 1/3 हिस्सा अनुसार कब्जा हो गया। प्रतिवादी पक्ष अपने जवाबदावा एवं उनके विद्वान् अधिवक्ता वादीगण के पिता व पुर्वज कपुरजी पुत्र मानाजी को संयुक्त हिन्दु परिवार से संवत् 2003 की सावन सुदी 11 से पृथक होने की दलील देने से नहीं थकते है, परन्तु इस बाबत् प्रस्तुत लिखत फारगती के एक भी गवाह को न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू–02 गोपीकिशन जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के भुआ का लडका है, ने भी अपने बयानो में जिरह के दौरान् स्वीकार किया हैं कि वह विभाजन में शामिल नहीं रहा है। इसके साथ ही वादीपक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यो एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से भाटून्द के गत् खसरा नंबर 635 की भूमि माना पुत्र वदा की खातेदारी की रही है। जिससे प्रतिवादी पक्ष द्वारा दी गई दलीले निराधार होने से खारिज योग्य है। जिससे तनकी संख्या 07 भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 2 ई के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

8. अनुतोष ? .....
तनकी संख्या 01 से 07 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित हो जाने से वादीगण अन्य कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है।

–::निर्णय::–

प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 08 निर्णित किये जाने के पश्चात् हैं कि प्रथम बंदोवस्त के समय की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटून्द के गत् खसरा नंबर 1215, 1224, 1225, 1226; 1227, 1228, 1229, 1230, 635 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 बिस्वा अकेले वादीगण के दादा माना वल्द वदा के खातेदारी की भूमि थी, जिसमें वादीगण के पुर्वजा/पिता कपुरजी पुत्र मानाजी का 1/3 हिस्सा के हक अधिकार होते हुये विधि विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 42, 173 के जरिये माना के दो पुत्रो धन्ना व शंकर का नाम ही दर्ज किया। इसके साथ ही गत् खसरा नंबर 945, 947, 757, 761, 905, 931, 934, कुल खसरा–7 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि में माना पुत्र वदा 1/3 हिस्सा के खातेदार थे, जिससे इस भूमि में भी वादीगण पुश्तैनी हक अनुसार **1/3X1/3=1/6** हिस्सा के खातेदारी पाने के अधिकारी थे। परन्तु प्रतिवादीगण ने विधि विरूद्व तरीके से वादीगण को पुश्तैनी भूमि से वंचित करने के ईरादे से फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा वादीगण के पुर्वज/पिता कपुरजी पुत्र मानाजी का नाम दर्ज नहीं कराया, तथा जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 से विलोपित करवा दिया। जो त्रुटि उत्तरोतर बनी जमाबंदियो में दोहराई गई, तथा सैटलमेंट पश्चात् बने हाल खसरा नंबरान् में यथावत जारी रखी गई। इन सभी तथ्यो को छिपाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ई बच्चुलाल द्वारा जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा में मुख्य आधांर खसरा गिरदावरीयो को बनाया,विधिक प्रावधानो के अनुसार खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड ऑफ राईट्स की संज्ञा नहीं दी जा सकती हैं। **जिससे भाटुन्द के गत ख न 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466 2029, 2030, 2031, 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर व खसरा न 824, 828, 830, 831, 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर व ख न. 1471, 2032 कुल खसरा– 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टर कुल रकबा 12.21 हैक्टर में वादीगण को 1/3 हिस्से का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88,89 के तहत खातेदार घोषित किया जाता है, एवं घोषणा खातेदारी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री पारित**

पेज लगातार.......11

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी.बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

की जाती है। तहसीलदार, बाली एवं पटवारी हल्का, भाटून्द आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद के पश्चात् विभाजन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर विभाजन की फाईनल डिक्री जारी हो। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 01/12/025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अ अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

गण :–

1. नेनमल पुत्र स्व. कपुरजी आयु बालिग
2. देवाराम पुत्र स्व0 कपुरजी आयु बालिग
3. स्व0 दिनेशकुमार पुत्र स्व. कपुरजी के कायम मुकामः–

3/1 मन्जु विधवा स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
3/2 सिंकी पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
3/3 प्रियंका पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
3/4 किरण पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग जातिगण ब्राहमण निवासीगण भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–शंकरलाल पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
1/1–तारा पुत्री शंकरलाल आयु बालिग
2 – स्व धनाराम पुत्र स्व. मानाजी के कायम मुकाम
2/1 – लखमाराम पुत्र धनाजी के कायम मुकाम
2/1/1– पानी पुत्री स्व. लखमाराजी आयु बालिग
2/1/2 – कमलेश कुमार पुत्र लखमारामजी आयु बालिग
2/1/3 – निरूपा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग
2/1/4 – उषा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग

2/2– देवाराम पुत्र स्व घनाजी आयु बालिग
2/3– गणेशराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
2/4– गोविन्दराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
2/5– बच्चुलाल पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
जतिगण ब्राहम्ण निवासीगण– भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली
3 गलबी पुत्री स्व मानाजी पत्नि पाबुजी जाति ब्राहम्ण, निवासी –भन्दर तहसीली बाली जिला पाली
3/1–कन्हैयालाल पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
3/2– गोपीकिशन पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
3/3– पुखराज, पुत्र गलबी पत्नि पाबुरामजी के कायम मुकाम
3/3/1–सीता पत्नि स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/3/2–प्रदीप पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/3/3–सुमीत पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/3/4–विनित पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
3/4– रेवाशंकर पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग
3/5– सविता पुत्री स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

4– स्व गजीबाई पुत्री मानजी के कायम मुकाम
4/1– चंचरीदेवी पत्नि स्व बाबुलालजी पुत्र वरदाजी के कायम मुकाम दीपक कुमार गोदपुत्र स्व चंचरीदेवी व स्व बाबुलालजी
4/2–गोपीकिशन पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
4/3–रेवाशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
4/4. हरिशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग जातिगण ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
5–स्व कपुरजी पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
5/1 टिपबाई पत्नि हरिशंकजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
5/2 जरावी पत्नि दलपतराजी, जाति ब्राहम्ण, निवासा भन्दर, तहसील बाली
5/3 चन्द्राबाई पत्नि भंवरलालजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली ,
6. तहसीलदार बाली

पेज. लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00011

अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 08 निर्णित किये जाने के पश्चात् हैं कि प्रथम बंदोवस्त के समय की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटून्द के गत् खसरा नंबर 1215, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 635 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 बिस्वा अकेले वादीगण के दादा माना वल्द वदा के खातेदारी की भूमि थी, जिसमें वादीगण के पुर्वजा/पिता कपुरजी पुत्र मानाजी का 1/3 हिस्सा के हक अधिकार होते हुये विधि विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 42, 173 के जरिये माना के दो पुत्रो धन्ना व शंकर का नाम ही दर्ज किया। इसके साथ ही गत् खसरा नंबर 945, 947, 757, 761, 905, 931, 934, कुल खसरा–7 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि में माना पुत्र वदा 1/3 हिस्सा के खातेदार थे, जिससे इस भूमि में भी वादीगण पुश्तैनी हक अनुसार **1/3X1/3=1/6** हिस्सा के खातेदारी पाने के अधिकारी थे। परन्तु प्रतिवादीगण ने विधि विरूद्व तरीके से वादीगण को पुश्तैनी भूमि से वंचित करने के ईरादे से फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा वादीगण के पुर्वज/पिता कपुरजी पुत्र मानाजी का नाम दर्ज नहीं कराया, तथा जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 से विलोपित करवा दिया। जो त्रुटि उत्तरोतर बनी जमाबंदियो में दोहराई गई, तथा सैटलमेंट पश्चात् बने हाल खसरा नंबरान् भी यथावत जारी रखी गई। इन सभी तथ्यो को छिपाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ई बच्चुलाल द्वारा जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा में मुख्य आधार खसरा गिरदावरीयो को बनाया,विधिक प्रावधानो के अनुसार खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड ऑफ राईट्स की संज्ञा नहीं दी जा सकती हैं। **जिससे भाटुन्द के गत ख न 1215,1224.1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 635, 1228 कुल खसरा–09 कुल रकबा 64 बीघा 7 विस्वा से बने हाल खसरा नंबर 563, 1457, 1458, 1459, 1465, 1450, 1466 2029, 2030, 2031, 2033 कुल खसरा 11 कुल रकबा 6.89 हैक्टर व खसरा न 824, 828, 830, 831, 832 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.24 हैक्टर व ख न. 1471, 2032 कुल खसरा– 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टर कुल रकबा 12.21 हैक्टर में वादीगण को 1/3 हिस्से का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88,89 के तहत खातेदार घोषित किया जाता है, एवं घोषणा खातेदारी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री पारित की जाती है।** तहसीलदार, बाली एवं पटवारी हल्का, भाटून्द आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद के पश्चात् विभाजन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर विभाजन की फाईनल डिक्री जारी हो। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/12/025 को जारी किया गया।

मोहर

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)